मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

1. पृष्ठभूमि :

वर्तमान परिदृश्य में बढते शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण नगरों की अधोसंरचना व्यवस्था पर अत्याधिक दबाव पड़ रहा है। प्रदेश तथा देशभर में पेयजल की समस्या एक प्रमुख चुनौतो बन कर उभर रही है। अधिकांश नगरीय निकाय अल्प वर्षा अथवा पेयजल स्त्रोत की कमी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। यद्यपि नगरीय निकायों द्वारा आपात स्थिति में परिवहन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जाती है। परन्तु परिवहन व्यवस्था द्वारा की गई आपूर्ति एक अस्थाई तथा अपर्याप्त प्रयास रहता है। प्रदेश में 360 नगरीय निकाय हैं, जिसमें 14 नगर निगम, 96 नगरपालिका परिषद तथा 250 नगर परिषद् है। विगत ग्रीष्म ऋतु में 94 नगरीय निकायों में एक दिन छोड़कर, 50 नगरीय निकायों में दो दिन छोड़कर तथा 40 नगरीय निकायों में तीन दिन या उससे अधिक दिन छोड़कर जलप्रदाय किया गया। जून 2011 की स्थिति में म.प्र. के नगरीय निकायों में पेयजल व्यवस्था का परिदृश्य निम्नानुसार है :—

कुल शहर	जलप्रदाय की स्थिति			
	प्रतिदिन	1 दिन छोड़कर	2 दिन छोड़कर	3 या अधिक दिन छोड़कर
360	176	97	47	40

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रदेश के नगरीय निकायों में जलप्रदाय की स्थिति असंतोषजनक है। प्रदेश के आधे से अधिक नगरीय निकायों द्वारा प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति नही की जा रही है। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि पेयजल समस्या का स्वरुप अत्याधिक गंभीर है एवं यदि इस दिशा में उचित कदम नही उठाये गये तो स्थिति अधिक भयावह हा सकती है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता के अन्तर्गत शहरी पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रदेश के सभी नगरों में बेहतर पेयजल व्यवस्था बहाल करने एवं मौजूदा पेयजल योजनाओं के यथाशीघ्र क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा ''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'' प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।

2. अवधारणा :

''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'' प्रमुख रुप से प्रदेश के उन नगरीय क्षेत्रो हेतु लक्षित है जो विगत वर्षो से पेयजल समस्या से जूझ रहे ह अथवा ऐसे निकाय जिनमें जल आवर्धन योजनाओ का क्रियान्वयन राशि की कमी के कारण लंबित है। योजना अंतर्गत म.प्र. शासन का यह प्रयास है कि प्रदेश के सभी नगरों की पेयजल योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन किया जा सके।

2.1 उद्देश्य

''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'' के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :—

- मध्यप्रदेश क सभी शहरों में मानक अनुसार पेयजल उपलब्ध कराना।

- निजी जन भागीदारी योजना अन्तर्गत उपयुक्त योजनाओं का क्रियान्वयन।

2.2 लक्ष्य कथन

''हर घर में नल.......हर नल में जल........''

3. योजना के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य

- स्वीकार योग्य – नवीन पेयजल योजनाओं हतु वित्तपोषण एवं पूर्व से क्रियान्वयनरत् योजनाएं जिनमें शासन से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।
- अस्वीकार योग्य – पेयजल संबधित कार्यो को छोड़ अन्य अधोसंरचनात्मक कार्य।

4. योजना की अवधि

- प्रारंभिक तौर पर यह योजना 10 वर्षो के लिये प्रस्तावित है।

5. योजना का दायरा

- योजनान्तर्गत म.प्र. के सभी नगरीय क्षेत्र (नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद्) शामिल रहेंगे। भविष्य में घोषित/अधिसूचित होने वाले नगरीय क्षेत्रों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

6. रणनीति

(A) नगरीय निकायों से वर्तमान जलप्रदाय व्यवस्था ;वनतबमक्पेजतपइनजपवदनचचसल कंलेद्ध की जानकारी एकत्र कर प्रारंभिक अनुमानित योजना तैयार करना

(B) जंजने उंचचपदह हेतु एजेंसी नियुक्त करना ।

(C) एजेंसी द्वारा वर्तमान जलप्रदाय व्यवस्था का सर्वे, वर्तमान व्यवस्था में सुधार/आवर्धन का आंकलन (आगामी 10 वर्षो हेतु) कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(D) रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार करना
विस्तृत कार्ययोजना के चरण – ;ेवतज जमतउ – सवदह जमतउद्ध

  (A) पंपिग मशीनरी आदि का सुधार – बदलाव।
  (B) वितरण व्यवस्था में परिवर्तन कर सुधार करना।
  (C) लीकेज/अपव्यय की रोकथाम कर जलप्रदाय की स्थिति सुधारना।
  (D) जल आवधन हेतु आवश्यक स्त्रोत का निर्माण/पुराने स्त्रोत का सुधार, ट्रीटमेंट प्लांट, वितरण प्रणाली आदि अवयवों का निर्माण/याजना संबंधित निकाय द्वारा बनाई जावेगी।
  (E) चरणबद्व तरीके से कार्ययोजना का क्रियान्वयन।
  (F) प्प्ब् (सूचना,संचार, जानकारी) को निकाय द्वारा लागू किया जाना।

7. क्रियान्वयन पद्वति

7.1. योजना हेतु क्रियान्वयन पद्वति निम्नानुसार प्रस्तावित हैः–

- प्राथमिकता का आधार –

  (a) एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर जहॉ 3 दिन या अधिक

छोड़कर जलप्रदाय किया जाता है।

(b) पचास हजार से एक लाख की जनसंख्या वाले जिला मुख्यालया में जहॉ 3 दिन या अधिक छोड़कर जलप्रदाय किया जाता है।

(c) धार्मिक महत्व के शहर/पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर ।

(d) ऐसे शहर जहॉ 2 दिन छोड़कर जलप्रदाय किया जा रहा है।

(e) ऐसे शहर जहॉ 1दिन छोड़कर जलप्रदाय किया जा रहा है।

(f) ऐसे शहर जहॉ पाईप वाटर सप्लाइ स्कीम नहीं है।

- आवश्यक शहरी सुधार कार्य

) प्राथमिकता वाले नगरों में भी उन नगरों का चयन किया जायेगा जिनकी सम्पत्ति कर वसूली का प्रतिशत 50 से अधिक हो। इसके अतिरिक्त इन चयनित नगरों हेतु यह आवश्यक होगा कि ये नगर योजना अन्तर्गत अनुदान प्राप्ति उपरांत अगले 3 वर्षों में 85 प्रतिशत सम्पत्ति कर वसूली करें।

इ) राज्य के लिये जल मल नियामक आयोग का गठन किया जा रहा है। इस आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों द्वारा जल कर निर्धारित कर वसूली की जा सकेगी। आयोग का गठन होने एवं उसकी अनुशंसा प्राप्त होने तक नगरीय निकायों द्वारा बिना लाभ बिना हानि के आधार पर जल कर का निर्धारण कर वसूली करना होगी।

7.2. <u>वित्तीय प्रबंधन</u>

''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'' के अंतर्गत विभिन्न शहरों की स्वीकृत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु शासन द्वारा निकायों को अनुदान राशि निकाय की जनसंख्या के मान से उपलब्ध कराई जायेगी।

7.2.1 चूंकि जल प्रदाय व्यवस्था हेतु आवश्यक अधिकांश राशि राज्य शासन से सहायता स्वरुप नगरीय निकायों को दी जाना है, अतः नगरीय निकायों द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए आवश्यक ध्ड राशि के आधार पर जलदरों का निर्धारण/वसूली करना अनिवार्य होगा।

7.2.2 जहां संभव हो ऐसे नगरों को 24ग7 जलप्रदाय हेतु प्रोत्साहित किया जाये। ऐसी व्यवस्था के लिए न केवल पर्याप्त स्त्रोत की आवश्यकता होगी, अपितु वितरण व्यवस्था में भी प्रबंधन, सुधार व निवेश की आवश्यकता होगी। अतः ऐसे नगरों को अन्य नगरों की तुलना में राज्य की सहायता का अतिरिक्त अंश उपलब्ध कराया जावेगा। तद्नुसार शासकीय सहायता का अंश निम्नानुसार होगाः—

- योजनाओं का वित्तीय पोषण 50 हजार से कम जनसंख्या वाले निकाय में 30 प्रतिशत अनुदान के माध्यम से व 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले निकायों में 20 प्रतिशत अनुदान के माध्यम किया जाये। शेष 70 अथवा 80 प्रतिशत राशि की व्यवस्था नगरीय निकायों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण अथवा स्वयं की आय स्त्रोतों से की जाये।

इस ऋण की राशि एवं ब्याज के 75 प्रतिशत भाग का पुनर्भुगतान राज्य शासन के बजट के माध्यम से किया जाये तथा शेष ऋण ब्याज की राशि के 25 प्रतिशत भाग के पुनर्भुगतान का उत्तरदायित्व नगरीय निकाय का रहेगा।

- योजना पूर्ण होने पर संचालन तथा संधारण व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं पर आवश्यक जलदर आरोपित की जायेगी तथा उपभोक्ता प्रभार मांग की 85 प्रतिशत राशि की वसूली अनिवार्यतः सुनिश्चित की जाये।
- योजना पूर्ण होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में सभी उपभोक्ताओं के परिसर में पेयजल की मात्रा की गणना के लिए मीटर स्थापित किये जाएँ तथा मीटर की लागत को परियोजना में सम्मिलित किया जाये।
- पेयजल आपूर्ति के वार्षिक संचालन तथा संधारण व्यय तथा उपभोक्ता प्रभार से प्राप्त होने वाली राशि में अंतर (कमी) होने पर नगरीय निकायों द्वारा आय के अन्य स्त्रोतों से संचालन तथा संधारण व्यय की शत–प्रतिशत पूर्ति की जाये।
- घरेलु उपभोक्ता प्रभार से गैर घरेलू उपभोक्ता प्रभार की दर अधिक हो एवं गैर घरेलू उपभोक्ता प्रभार को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाये। पहली श्रेणी में अस्पताल तथा शैक्षणिक संस्थाएं, दूसरी श्रेणी में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान व तीसरी श्रेणी में औद्योगिक संस्थानों को रखा जाये।
- योजना हेतु शासन द्वारा निकाय को योजना क्रियान्वयन के लिए प्रदान किए जाने वाले अनुदान हेतु लिए गए ऋण के 75 प्रतिशत भाग का पुनर्भुगतान, निर्धारित तिथि से ही शासन द्वारा किया जाये।
- योजना पूर्ण होने के उपरांत शासन द्वारा योजना हेतु निर्धारित शर्तों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाये। यदि पाया जाता है कि शर्तों की पूर्ति निर्धारित समयावधि में नही की गई है तो पुनर्भुगतान हेतु राज्य शासन के 75 प्रतिशत अंशदान में कमी की जा सकेगी, परन्तु पुनर्भुगतान हेतु राज्य शासन का अंशदान 65 प्रतिशत से कम नही होगा।
- योजना के क्रियान्वयन को निजी क्षेत्र की भागीदारी से मुक्त रखा जाये।

केन्द्र सरकार की योजनाओं के तहत यथासंभव स्वीकृति प्राप्त कर केन्द्रीय सहायता से योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रयास किया जावेगा।

7.4. संस्थागत ढांचा

7.4.1. राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण समिति

''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'' के बेहतर क्रियान्वयन तथा संचालन निगरानी हेतु एक राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन निम्नानुसार किया जावेगाः–

अध्यक्ष – माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन
सदस्य – माननीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

सदस्य – मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
सदस्य – प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
सदस्य – सचिव, राज्य योजना आयोग
सदस्य – प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

"हर घर में नल
हर नल में जल"

7.4.2. परियोजना मूल्यांकन स्वीकृति

''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'' के अंतर्गत विभिन्न शहरों द्वारा तैयार किये जाने वाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के मूल्याकंन एवं तकनीकि स्वीकृति का कार्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया जावेगा तदोपरांत प्रत्येक नगर के लिये विस्तृत परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति सक्षम [illegible] समिति से प्राप्त करेगा।

7.4.3. क्रियान्वयन संस्था

''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'' के अंतर्गत विभिन्न शहरों की स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व संबंधित नगरीय निकाय का होगा। योजना तैयार करने हेतु एवं निकाय स्तर पर संबंधित निर्णय का अधिकार परिषद् का होगा।

परियोजना का प्रशासकीय अनुमोदन म.प्र. नगर पालिका मेयर इन कॉउनसिल/प्रसिडेन्ट इन कॉउनसिल के कामकाज संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य नियम 1998 के अनुसार किया जावेगा।

8. अपेक्षित परिणाम

(a) समयबद्व एवं चरणबद्व तरीके से नगरीय निकायों की जलप्रदाय व्यवस्था का उन्नयन।

(b) प्रदेश के नगरीय निकायों में नागरिकों को प्रतिदिन एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता ।

(c) निकाय द्वारा पेयजल प्रदाय किय जाने से नगरिकों के स्वास्थ्य में सुधार एवं जलजनित बोमारियों में कमी।